न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई जिला दौसा

प्रकरण/मुकदमा संख्या 160/2025
प्रकरण दायर दिनांक 14.11.2025
प्रकरण निर्णय दिनांक 17.04.2026

उनवान

1. चांदनी कंवर पुत्री शैतानसिंह पत्नि हरि सिंह जाति राजपूत निवासी ऊनबडागांव तहसील बांदीकुई जिला दौसा, हाल निवासी कोलाडूंगरी, पोस्ट बिदियाद, बिदियाद जिला नागौर राजस्थान।

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
वास्ते दुरूस्ती पिता का नाम
प्रकरण निर्णय दिनांक 17.04.2026

प्रार्थीया द्वारा विरूद्ध अप्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते दुरूस्ती पिता का नाम जर्ये वकील श्री विनोद शर्मा के इस आशय से पेश किया गया कि खाता संख्या नया 91 पुराना 111 खसरा नम्बर 647/2296 रकबा 0.27 हैक्टे, खसरा नम्बर 649 रकबा 0.11 हैक्टे, खसरा नम्बर 650 रकबा 0.07 हैक्टे, खसरा नम्बर 651 रकबा 0.77 हैक्टे, खसरा नम्बर 652 रकबा 0.25 हैक्टे, खसरा नम्बर 653 रकबा 0.37 हैक्टे, खसरा नम्बर 654 रकबा 0.16 हैक्टे, खसरा नम्बर 655 रकबा 0.05 हैक्टे, खसरा नम्बर 656 रकबा 0.04 हैक्टे, खसरा नम्बर 657 रकबा 0.12 हैक्टे, कुल किता 10 कुल रकबा 1.51 हैक्टेयर वाके ग्राम ऊनबडागाँव तहसील बांदीकुई जिला दौसा स्थित है जिसमें प्रार्थीया का 1/10 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज है। जिसे आगे प्रार्थना पत्र में भूमि मुतदाविया के नाम से सम्बोधित किया गयाहै। नकल जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 वादपत्र के साथ संलग्न है। भूमि मुतदाविया खाता संख्या नया 91 व पुराना 111 के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में प्रार्थीया का नाम बतौर खातेदार चांदनी कंवर पुत्री भवानीसिंह हिस्सा 1/10 जति राजपूत दर्ज हो रहा है उक्त राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से प्रार्थीया के पिता का नाम गलत दर्ज हो रहा है राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थीया के पिता के स्थान पर प्रार्थीया के दादा भवानीसिंह का नाम दर्ज कर दिया है जो गलत दर्ज किया गया है भवानीसिंह प्रार्थीया के पिता का नाम नहीं है बल्कि प्रार्थीया के दादा का नाम है प्रार्थीया का सही नाम चांदनी कंवर पुत्री शैतानसिंह है प्रार्थीया के नाम

अन्य खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 92 पुराना 112 तथा नया 31 पुराना 112 के राजस्व रिकॉर्ड तथा प्रार्थीया के राशनकार्ड, आदि दस्तावेजात में प्रार्थीया के पिता का नाम शैतानसिंह दर्ज है जो सही है। भूमि मुतदाविया के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चांदनी कंवर पुत्री भवानीसिंह व चांदनी कंवर पुत्री शैतान सिंह एक ही महिला का नाम है प्रार्थीया का सही नाम चांदनी कंवर पुत्री शैतानसिंह ही है लेकिन सहवन से भूमि मुतदाविया के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया के पिता के नाम के बजाय प्रार्थीया के दादा का नाम दर्ज हो रहा है जो गलत इन्द्राज हो रहा है । उक्त गलत इन्द्राज के कारण भविष्य में प्रार्थीया व प्रार्थीया के वारिसान को भूमि मुतदाविया का नामान्तकरण खुलवाने या किसी भी प्रकार की निजी या सरकारी सुविधा प्राप्त करने में कानूनी अडचन पैदा होगी इसलिये उसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एंव लाजमी है। ऐसी सूरत में प्रार्थीया न्यायालय से इस अमर की दुरूस्ती करवाने की विधिक अधिकारी है कि भूमि मुतदाविया खाता संख्या नया 91 पुराना 111 के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में प्रार्थीया के पिता के गलत नाम चांदनी कंवर पुत्री भवानीसिंह को दुरूस्त करके प्रार्थीया का सही नाम चांदनी कंवर पुत्री शैतानसिंह राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज करवाने की वादिया विधिक अधिकारी है। प्रार्थीया को उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी भूमि मुतदाविया पर के.सी.सी. बनवाने हेतु जमाबन्दी निकलवाने पर दिनांक 26.10.2025 को होने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण उत्पन्न होकर प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश है। भूमि मुतदाविया न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से न्यायालय हाजा को प्रार्थना पत्र की सुनवाई का पूरा–पूरा अधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया की ओर से पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर भूमि मुतदाविया के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया के नाम के गलत इन्द्राज चांदनी कंवर पुत्री भवानीसिंह को दुरूस्त किया जाकर प्रार्थीया का सही नाम चांदनी कंवर पुत्री शैतानसिंह दर्ज किया जावे तथा तहसीलदार बांदीकुई को आदेशित फरमाया जावे कि उक्त दुरूस्ती का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज करे।

प्रार्थीया प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी जर्ये नोटिस/सम्मन विधिवत की गयी। प्रकरण में तहसीलदार बांदीकुई से रिपोर्ट प्राप्त की गयी। जिसकी पालना में तहसीलदार बांदीकुई द्वारा पत्रांक 1870 दिनांक 06.04.2026 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार – ग्राम ऊनबडा गांव के खाता सं. 91 में वादी का नाम चांदनीकंवर पुत्री भवानीसिंह जाति राजपूत दर्ज रिकार्ड है। जिसे वादी जमाबन्दी में चांदनीकंवर पुत्री शैतानसिंह दर्ज करवाना चाहती है। वादी द्वारा ग्राम सकरेला की ढाणी की जमाबन्दी की खाता सं. 31 व ग्राम ऊनबडा गांव के खाता सं. 92 की नकल प्रस्तुत की गयी जिसमें वादी का नाम चांदनीकंवर पुत्री शैतानसिंह दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज जैसे राशनकार्ड आधार कार्ड पेनकार्ड में भी वादी का नाम चांदनीकंवर पुत्री शैतानसिंह जाति राजपूत दर्ज रिकार्ड है। ग्राम ऊनबडागांव के नामा.सं. 957 में वादी के दादा भवानीसिंह पुत्र गजराजसिंह की विरासत का नामा. की जांच करने पर पाया कि प्रार्थिया के नाम में पिता का नाम लिपिकीय भूल से शैतानसिंह के बजाय भवानीसिंह दर्ज हो गया।

हमने प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीया वकील की बहस सुनी। अतः पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात, तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रकट है कि ग्राम ऊनबडागांव के नामा.सं. 957 में वादी के दादा भवानीसिंह पुत्र गजराजसिंह की विरासत

का नामा. की जांच करने पर पाया कि प्रार्थिया के नाम में पिता का नाम लिपिकीय भूल से शैतानसिंह के बजाय भवानीसिंह दर्ज हो गया जबकि प्रार्थीया के पिता का सही नाम शैतानसिंह है। उक्त त्रुटि सहवन से कारित होना प्रतीत होती है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राज0 लैण्ड रेवन्यु एक्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीया वकील की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.का.अधि. स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार बांदीकुई को आदेश दिये जाते है कि खाता संख्या नया 91 पुराना 111 खसरा नम्बर 647/2296 रकबा 0.27 हैक्टे, खसरा नम्बर 649 रकबा 0.11 हैक्टे, खसरा नम्बर 650 रकबा 0.07 हैक्टे, खसरा नम्बर 651 रकबा 0.77 हैक्टे, खसरा नम्बर 652 रकबा 0.25 हैक्टे, खसरा नम्बर 653 रकबा 0.37 हैक्टे, खसरा नम्बर 654 रकबा 0.16 हैक्टे, खसरा नम्बर 655 रकबा 0.05 हैक्टे, खसरा नम्बर 656 रकबा 0.04 हैक्टे, खसरा नम्बर 657 रकबा 0.12 हैक्टे, कुल किता 10 कुल रकबा 1.51 हैक्टेयर वाके ग्राम ऊनबडागाँव तहसील बांदीकुई जिला दौसा की राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज नाम चांदनी कँवर पुत्री भवानीसिंह के स्थान पर सही नाम चॉदनी कँवर पुत्री शैतानसिंह जाति राजपूत दर्ज किया जावें। शेष इन्द्राजात यथावत रहेगे। तहसीलदार बॉदीकुई राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करे। तहसीलदार बॉदीकुई को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 17.04.2026 को सुनाया जाकर एवं टंकित करवाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

17/4/26

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
8/4/26	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थिया उप० [illegible] सरकार आ० प्रकरण में तहसीलदार बांदीकुई के पत्रांक 1870 दिनांक 06/04/2026 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। वास्ते साक्ष्य/बहस पत्रावली दिनांक 17/04/2026 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
17/04/26	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थिया उप० प्रार्थिया द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं कर बहस करनी चाही। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थिया/प्रार्थिया वकील बहस सुनी। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। अतः प्रार्थिया वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी प्रा० पत्र अंतर्गत धारा 136 भू.रा. अधि. बाबत दुरुस्ती [illegible] स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] 17/4/26 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)